राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

सं. एफ-8(428)/ट्रेड /पर्यटन विभाग/19/ जयपुर, दिनांक-

अधिसूचना

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 9) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के विद्यमान नियम 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4 गाइडों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं.-** गाइड के रूप में प्रशिक्षित और अनुज्ञप्त किये जाने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात्:-

(i) राज्य स्तर के गाइड के लिए - अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्था से पर्यटन में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक होना चाहिए;

(ii) स्थानीय स्तर के गाइड के लिए - अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए:

परन्तु स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के मामले में सैकण्डरी परीक्षा की उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हता की अपेक्षा को शिथिल किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति के पास दस वर्ष से अधिक की गाइडिंग का अनुभव है और वह वन विभाग/पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/अन्य सरकारी उपक्रम/विभाग या निजी न्यासों द्वारा चलाये जा रहे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों द्वारा जारी परिचय-पत्र/ अनुज्ञप्ति कार्ड रखता है। ऐसे अनुभव का सत्यापन, प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी के उपस्थित होने से पूर्व, पर्यटन विभाग के संबंधित स्थानीय कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

5. गाइडों के अनुज्ञापन के लिए आयु.- राज्य स्तर या स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति ने, उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को, जिस वर्ष राज्य स्तर या स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो:

परंतु स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति के मामले में ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष होगी यदि उनके पास नियम 4 के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अनुभव है।

6. पर्यटन गाइडों के प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करना.- (1) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गाइडों की संख्या के अवधारण के पश्चात्, गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन, राज्य में विस्तृत परिचालन वाले समाचारपत्र में विज्ञापित और साथ ही साथ पर्यटन विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके, आयुक्त द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में, स्थानीय स्तर और राज्य स्तर के गाइडों के लिए सुस्पष्ट रूप से अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही प्रशिक्षण के लिए, यदि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया जाये, प्रभारित की जाने वाली फीस अंतर्विष्ट होंगी। आवेदन प्ररूप ऐसा होगा जैसाकि आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाये। आवेदक, आयुक्त द्वारा यथाअवधारित आवेदन फीस उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से

संदाय करेगा। आवेदन, आयुक्त के विनिश्चय के अनुसार आनलाइन या आफलाइन ढंग से आमंत्रित किये जायेंगे और आवेदक को तद्नुसार आवेदन करना होगा।

(2) आवेदक जो, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इन में से प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग आवेदन करेंगे और इन में से प्रत्येक परीक्षा के लिए लागू फीस का अलग-अलग संदाय करेंगे।

(3) विज्ञापन में अधिसूचित अंतिम तारीख तक प्राप्त समस्त आवेदनों की संवीक्षा की जायेगी और प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जायेगी और पर्यटन विभाग की शासकीय वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को व्यक्तिश: ई-मेल द्वारा या ऐसी अन्य रीति से जो आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जाये, संसूचित की जायेगी। आवेदकों से अपेक्षित होगा कि समय-समय पर पर्यटन विभाग की वेबसाइट देखते रहें। सूचना के ई-मेल की अप्राप्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गये अभ्यर्थी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी या विहित प्राधिकारी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे। प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार प्रवेश परीक्षा, आनलाइन या आफलाइन संचालित की जा सकेगी।

(5) प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा, उप-नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और उप-नियम (7) में यथा विनिर्दिष्ट बोनस अंकों, यदि कोई हों, के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

(6) गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण ऐसा होगा, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये। यदि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो वह योग्यता के आधार पर सामान्य या अन्य प्रवर्गों से संबंधित आवेदकों से भरी जायेगी। चूंकि पर्यटन गाइडों के चयन और प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें स्व-नियोजन के लिए तैयार करना है, इसलिए सीटों की रिक्त संख्या को अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(7) किसी भारतीय या विदेशी भाषा में शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय बोनस अंक दिये जायेंगे। बोनस अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे:-

(i) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री होने पर दस अंक,

(ii) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/ डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा होने पर पांच अंक,

(iii) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्था/ डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र होने पर तीन अंक, और

(iv) कम से कम 10 वर्षों से विदेशी भाषा में पाठ्यक्रम चला रहे रजिस्ट्रीकृत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राजदूतावास द्वारा सिफारिश किये गये या अनुमोदित संस्थान से विदेशी भाषा में डिग्री के लिए दस अंक, डिप्लोमा के लिए पांच अंक और प्रमाणपत्र के लिए तीन अंक।

(8) अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और बोनस अंकों, यदि कोई हों, के आधार पर गाइड के रूप में प्रशिक्षण के प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चयनित किये गये हैं, प्रशिक्षण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप-ग में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थी, पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण लेंगे।

(9) स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी और राज्य स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अपर निदेशक, प्रशासन/विकास, पर्यटन विभाग, जो राज्य स्तर के गाइडों के अनुज्ञापन के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथा परिभाषित विहित प्राधिकारी भी होगा, के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जयपुर और/या राज्य के मुख्य शहरों में की जायेगी।

7. आयु, शैक्षणिक अर्हता और प्रशिक्षण में शिथिलीकरण.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति चाहने वाले पदधारी के पास पर्यटकों को गाइड करने का पर्याप्त अनुभव है और गाइड के रूप में कर्त्तव्यभार लेने के लिए उपयुक्त है और अनुज्ञप्त किये जाने की आवश्यकता है, उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट रीति में अधिकतम आयु और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगा और प्ररूप घ-1 या, यथास्थिति, प्ररूप घ-2 में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

(2) गाइड अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आयुक्त द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकतम आयु और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिथिलीकरण मंजूर किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) पर्यटन विभाग के सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी;

(ख) पर्यटन विभाग के सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारी; या

(ग) संघ के सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य:

परंतु उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन आने वाले व्यक्ति राज्य स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए ऐसे शिथिलीकरण के पात्र होंगे और जो खण्ड (ख) और (ग) के अधीन आते हैं, स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होंगे जिन्हें अनुज्ञप्तियां जारी करने से पूर्व लघु प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि शिथिलीकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर ऐसा शिथिलीकरण चाहते हैं।

(3) शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण केवल नियम 4 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मंजूर किया जायेगा।

8. स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण.- (1) जब कभी स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाता है तो पर्यटन विभाग, उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के पाठ्य विवरण के अनुसार गाइड के व्यवसाय के लिए समस्त सूचना और जानकारी से उसे अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण, पर्यटन विभाग या राज्य के अन्य विभागों के ऐसे अनुदेशकों और अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा जैसा आयुक्त समय-समय पर इस निमित्त अवधारित करे।

(2) स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य विवरण

1. राजस्थान का इतिहास (दो व्याख्यान)।
2. भारत के विभिन्न धर्मों का आधोपान्त अवलोकन।
3. राजस्थान की कला, संस्कृति और विभिन्न परम्पराएं (दो व्याख्यान)।
4. राजस्थान के मेले और उत्सव।
5. राजस्थान के नृत्य और संगीत।
6. राजस्थान का स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य (दो व्याख्यान)
7. स्थानीय संस्मारकों पर जानकारी (चार व्याख्यान)।
8. राजस्थान का वन्य जीवन, वनस्पति और जीव-जन्तु।
9. राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल (दो व्याख्यान)।
10. युवा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन (दो व्याख्यान)।
11. योग और ध्यान।
12. विरासत होटल और राजस्थान पर्यटन में उनका योगदान।
13. परिवहन सुविधाएं, होटल, पाकशैली।
14. हवाई/रेल/बस टिकिटों को बुक करना, उनकी पुष्टि करना।
15. वीजा, पासपोर्ट, विदेशी विनिमय औपचारिकताएं।
16. श्रेष्ठ गाइड कैसे बनें (दो व्याख्यान)।
17. पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति आधारभूत शिष्टाचार, सभ्याचार।
18. यात्रा कार्यक्रम कैसे बनायें।
19. दृश्यावलोकन का आयोजन कैसे करें (तीन व्याख्यान)।
20. स्थानीय हस्तशिल्प, पर्यटकों को खरीददारी के लिए ले जाने के गुण-दोष।
21. कोविड-19, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव कार्य, स्वच्छ भारत अभियान।
22. पर्यटक सहायता बल।

(3) यह पाठ्य विवरण, पर्यटन व्यवसाय की अपेक्षानुसार, समय-समय पर पर्यटन विभाग द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(4) स्थानीय स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 48 घण्टे की अवधि का होगा जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

(5) प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि कुछ अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधीन आने वाले विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित ज्ञान और जानकारी कम है और जब यह तथ्य आयुक्त की जानकारी में लाया जाता है और उस की राय है कि गाइड के रूप में व्यवसाय करने से पूर्व उन अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित ज्ञान आवश्यक है और उनके ज्ञान में और वृद्धि किया जाना अतिरिक्त रूप से लाभप्रद होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रशिक्षण को एक या दो सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(6) सामान्यतः प्रशिक्षण पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा किन्तु जहां आवश्यक हो, राज्य के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारियों को भी सम्बद्ध किया जा सकेगा जो ज्ञान के किसी विशिष्ट विशेषज्ञ क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी रखते है। प्रोफेसरों, व्याख्याताओं और अन्य विशेषज्ञों जैसे विख्यात शिक्षाविदों, अपेक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षणार्थी गाइडों को व्याख्यान देने और प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।

(7) जहां आयुक्त को यह प्रतीत हो कि स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण या स्थल पर प्रशिक्षण आवश्यक है तो वह स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में अनुज्ञापन से पूर्व उन्हें इसके लिए निदेश दे सकेगा।

(8) प्रत्येक आवेदक को प्रभारी अधिकारी, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा, के समाधानप्रद रूप में प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

9. राज्य स्तर के गाइडों के लिए प्रशिक्षण.- (1) जब कभी राज्य स्तर के गाइड के प्रशिक्षण के लिए कोई अभ्यर्थी चयनित किया जाता है वहां पर्यटन विभाग उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के पाठ्य विवरण अनुसार राज्य स्तरीय गाइड़ के व्यवसाय की समस्त जानकारी और ज्ञान से अवगत कराने के लिए उसे प्रशिक्षण देगा।

(2) राज्य स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण का पाठ्य विवरण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

राज्य स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण का पाठ्य विवरण

1. भारत और राज्य का इतिहास।
2. प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां।

3. पर्यटन सेक्टर के विशेष संदर्भ में राज्य का विकास।
4. भारत के मुख्य धर्म,-
   (क) हिन्दू
   (ख) इस्लाम
   (ग) ईसाई
   (घ) सिख
   (ङ) बौद्ध
   (च) जैन
   (छ) पारसी
5. राज्य की कला, संस्कृति और प्रचलित परम्पराएं।
6. राज्य का पुरातत्व विज्ञान।
7. राज्य के नृत्य।
8. राज्य की स्थापत्यकला।
9. राज्य का संगीत।
10. राज्य का वन्य जीवन, वनस्पति और जीव-जन्तु, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क।
11. राज्य के भीतर और बाहर के पर्यटक स्वागत केन्द्र/सूचना ब्यूरो।
12. राज्य में युवा पर्यटन/साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग और अन्य क्रियाकलाप।
13. राज्य के हस्तशिल्प।
14. राज्य मे खरीददारी।
15. उपर्युक्त मदों 5-14 का भारत के संदर्भ में कार्यसाधक ज्ञान।
16. पर्यटन विभाग की भूमिका और क्रियाकलाप,-
   (क) क्रय-विक्रय और उसका संवर्धन
   (ख) आधारभूत संरचना का विकास
   (ग) स्कीम और परियोजनाएं
   (घ) जन-सम्पर्क, मीडिया सम्पर्क
   (ङ) आतिथ्य
   (च) पर्यटन व्यापार का पारस्परिक प्रभाव
   (छ) पर्यटक सहायता बल और गाइड सेवाएं
   (ज) नवीन पर्यटन नीति, 2020
17. राज्य में भूतल परिवहन,-
   (क) भारतीय रेल

(ख) अनुमोदित पर्यटक परिवहन आपरेटर

(ग) सड़क सेवाएं

(घ) इंडियन एसोसिएशन आफ टूर ऑपरेटर्स।

18. राजस्थान पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड़।
19. पैलेस आन व्हील्स।
20. राज्य की पाकशैलियां।
21. योग, ध्यान और स्वास्थ्य पर्यटन।
22. राज्य में होटल वास-सुविधा,-

(क) अनुमोदित होटल, विरासत होटल, स्टार होटल

(ख) होटलों का वर्गीकरण

(ग) यात्री वासा, ब्रेड और अल्पाहार, सशुल्क अतिथि गृह

(घ) वन वासा और अन्य विश्राम गृह

(ङ) धर्मशालाएं, अतिथि-गृह और अन्य वास-सुविधा, और

(च) आनलाइन बुकिंग का ज्ञान, होमस्टे प्रसुविधाएं।

23. राज्य के यात्रा एजेंट, टूर आपरेटर, भ्रमण एजेंट और सफारी आपरेटर।
24. यात्रा कार्यक्रम/भ्रमण-सूची कैसे बनायें और सेवाओं को आनलाइन बुक कराना।
25. निम्नलिखित के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण-

(क) दृश्यावलोकन आयोजित करने की कला,

(ख) अच्छा गाइड कैसे बनें, और

(ग) राज्य में चयनित स्थानों का दृश्यावलोकन टूर।

26. कोविड-19, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव कार्य, स्वच्छ भारत अभियान।

(3) यह पाठ्य विवरण पर्यटन व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(4) उक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 60 घण्टे की अवधि का होगा, जिसमें 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

(5) राज्य स्तर के गाइडों का प्रशिक्षण, कक्षा के व्याख्यान के अलावा, राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यों के टूर कार्यक्रम को परिवृत करेगा जहां महत्वपूर्ण भूमि चिह्नों, संस्मारकों को सम्मिलित करते हुए विरासत स्थलों के साथ ही पारिस्थितिक पर्यटन, वन्य-जीवन सफारी इत्यादि को विशेष महत्व देते हुए प्रशिक्षकों, विभागीय अधिकारियों, कार्यरत अनुभवी

गाइडों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्थल प्रशिक्षण दिया जायेगा जो प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हो सकेगा।

(6) बाह्य प्रशिक्षण के समस्त व्यय, यदि कोई हों, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे। तथापि, पर्यटन विभाग विभिन्न स्थानों और अवस्थानों की यात्रा, बोर्डिंग और आवास के मामलों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के टूर का समन्वय करेगा।

(7) राज्य स्तर के गाइड प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण से सुसंगत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के व्याख्यानों की भी व्यवस्था की जायेगी यथा- प्रशासकों, प्रोफेसरों, रीडरों, व्याख्याताओं, पर्यटन से सुसंगत विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भी विभाग द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी।

(8) प्रशिक्षणार्थियों के बीच विशेष समझ बढ़ाने और व्यक्तियों/पर्यटकों के समूह से बातचीत के लिए उनमें विश्वास जगाने के लिए बार-बार सामूहिक विचार-विमर्श भी आयोजित किये जा सकेंगे।

(9) प्रत्येक आवेदक को प्रभारी अधिकारी, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा, के समाधानप्रद रूप में प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

9क. गाइड के रूप में अनुज्ञापन के लिए आवेदन.- (1) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, वे गाइड के रूप में अनुज्ञप्त किये जाने के लिए पात्र घोषित किये जायेंगे।

(2) वे सभी व्यक्ति जो उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्त किये जाने के पात्र हैं, अनुज्ञप्ति फीस, जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, के संदाय के सबूत और स्थानीय पुलिस थाना जिसकी अधिकारिता में अभ्यर्थी निवास कर रहा है, से सदाचार और सच्चरित्र के पुलिस सत्यापन सहित राज्य स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप ग-1 में अपर निदेशक (प्रशासन/विकास) पर्यटन विभाग, राजस्थान को या स्थानीय स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए प्ररूप ग.-2 में संबंधित विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। पुलिस सत्यापन के बिना अभ्यर्थी को गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड जारी किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) ग-1 और ग-2 में आवेदन प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी, राज्य स्तर के गाइडों को प्ररूप घ-1 में और स्थानीय स्तर के गाइडों को प्ररूप घ-2 में, गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड जारी करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन जारी किया गया गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड दो वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगा जो आयुक्त, पर्यटन द्वारा राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के गाइड के लिए यथा अवधारित नवीकरण फीस के संदाय के पश्चात्, वैधता की समाप्ति से 3 माह के भीतर यदि इसके लिए आवेदन किया जाता है तो, नियमानुसार नवीकृत किया जा सकेगा। इसके पश्चात् विलंब के लिए यह अतिरिक्त नवीकरण फीस, जो गाइडों के दोनों प्रवर्गों के लिए आयुक्त, पर्यटन द्वारा अवधारित की जाए, के संदाय और समस्त गाइडों के लिए अधिकथित सामान्य शर्तों के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण के लम्बित रहने के दौरान, विहित प्राधिकारी प्ररूप घ-3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) प्रत्येक राज्य स्तर का गाइड, पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना ब्यूरो और संबंधित विहित प्राधिकारी को, कार्य के अपने मुख्य स्थान और मोबाइल के संपर्क नंबर से संसूचित करेगा और राज्य में जहां कहीं वह कार्य करे, निकटतम पर्यटक सूचना ब्यूरो या पर्यटक स्वागत केन्द्र को अपने क्रियाकलापों के बारे में भी सूचित करेगा। पते और दूरभाष संख्यांक में कोई परिवर्तन संबंधित प्राधिकारियों और पर्यटन विभाग, राजस्थान के अधिकारियों को संसूचित किया जायेगा।

(6) राज्य स्तर के गाइड द्वारा उपर्युक्त शर्त के पालन करने में कोई चूक उसे उसके गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड के रद्दकरण का दायी बना देगी:

परन्तु ऐसी किसी गलती के लिए प्रमाणपत्र और परिचय-पत्र के रद्दकरण के लिए आदेश करने से पूर्व विहित प्राधिकारी, संबंधित गाइड को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जहां उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होता है, वहां तात्पर्यित कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(7) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्तर के गाइड के रूप में और स्थानीय स्तर के गाइड के रूप में व्यक्तियों को जारी समस्त गाइड परिचय-पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड ठीक धारित किये जायेंगे और उनकी विधिमान्यता कालावधि तक विधिमान्य रहेंगे और इन नियमों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे किन्तु तथापि, इन नियमों

के अनुसार नवीकरण के अध्यधीन होंगे और ऐसे समस्त गाइड, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से, इन नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(8) आयुक्त, इन नियमों के अधीन पर्यटन गाइडों के चयन, उनके प्रशिक्षण, फीस विहित करने और अनुज्ञप्ति जारी करने से संबंधित समस्त मामलों के लिए, समय-समय पर निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।"

3. प्ररूप ग का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 4(1) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 6(8) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. प्ररूप ग-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग-1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(2) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(2) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. प्ररूप ग-2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ग-2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(2) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(2) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. प्ररूप घ-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(3) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(3) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. प्ररूप घ-2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(3) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(3) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. प्ररूप घ-3 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप घ-3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 9(4) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 9क(4) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(गायत्री राठौड)
प्रमुख शासन सचिव।

क्रमांक : एफ–8(428)/ट्रेड/पर्यटन विभाग/19/ जयपुर, दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, रोजगार एवं स्किल एण्ड एन्टरप्रन्योरशिप विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर।
16. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रभारी समस्त क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र .....
18. रक्षित पत्रावली

(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन